न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 36/18

अनवर पत्नि श्री अकबर खां जति मुसलमान निवासी पीरणवाली, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. विलायत पत्नि श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. इब्राहीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. ब ीर पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
4. अजीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
5. अजीज पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. ताजा पत्नि श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
7. सुबी पुत्री श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
8. महमुदा पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
9. निदाम पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
10. महमुद पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
11. रहमान पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
12. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 16.03.2021**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थीया अनवर पत्नी अकबर खान के नाम चक 8 केएचएम के मुरब्बा नंबर 77/64 के किला नंबर 21 से 25 की 5 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा अपने खेत में पहुंचने के लिए मुरब्बा नंबर 98/01 और 97/08 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 में से होकर रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण का जवाब है कि प्रार्थीया के खेत तक पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है।इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। मौके का नक्शा इस प्रकार से है

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:36:47 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। अब प्रार्थीया मुरब्बा नंबर 97/08 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ रास्ता चाहती है। प्रार्थीया की

दलील है इस रास्ते के कटान होने से नक्शे में दर्शाई गई सड़क नंबर एक और सड़क नंबर दो का आपस में मिलान हो जाएगा। इससे प्रार्थीया के साथ–साथ आम जनता को भी फायदा होगा।

अप्रार्थीगण ने आपत्ति पेश की कि धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब किसी काश्तकार के खेत तक पहुंचने का कोई रास्ता मौजूद ना हो। केवल आमजन की सुविधा को देखते हुए इस धारा के अंतर्गत रास्ता कटान नहीं किया जा सकता।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया अदालत का मानना है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति वाजिब है। प्रार्थीया ने खुद अपने प्रार्थना पत्र मैं लिखा है कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11, 20, 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। नक्शे के अवलोकन से यह जाहिर है कि इस रास्ते के द्वारा के जरिए प्रार्थीया सड़क नंबर दो तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरब्बा नंबर 98/01 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इसके साथ ही मुरब्बा नंबर 97/08 के किला नंबर 1 से 25 के सिलसिले में जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 06.07.18 भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:36:47 IST
Reason: SelfAttested